बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :

अध्यक्ष : 226623 (R) 287875

महासचिव : 220227 (O) 224771
286865 (R)

कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या.....48.....

पटना
दिनांक.....20.09.2001.....

सेवा में,

.....

.....

विषयः-दिनांक 23.11.97 एवं 29.3.99 का समझौते तथा 66 दिनों की हड़ताल के बाद मुख्य सचिव द्वारा निर्गत पत्र संख्या 8199 दिनांक 28.10.2000 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

1. उपर्युक्त विषय के संबंध में हम विनम्रतापूर्वक बताना चाहते है कि बिहार प्रशासनिक सेवा को, राज्य सरकार की अग्रणी सेवा रहते हुए भी बार- बार हड़ताल पर जाना क्यों पड़ता है, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए क्यों प्रेरित एवं बाध्य किया जाता है इसके लिए कौन जिम्मेवार है । यह जानकारी आप सभी महानुभावों को देते हुए हमारा अनुरोध है कि कृपया सभी आवश्यक उपाय किये जाँये ताकि भविष्य में हमें आन्दोलन का निर्णय न लेना पड़े जिससे पदाधिकारी की गरिमा सुरक्षित रहें, सरकार की बदनामी न हो एवं आम जनों को कोई कठिनाइ न हो ।

2. गत वर्ष हमारे संघ के 66 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से आप सभी पूर्णतः अवगत है। हड़ताल के समय सारी स्थिति की जानकारी सरकार एवं आम जनों को दी जाती रही । आला अधिकारियों के साथ मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रीगणों के समक्ष संघ की वार्त्ता हुई । सहमति के अनुसार मुख्य सचिव द्वारा एक पत्र (पत्रांक 8199 दि0 28-10-2000 प्रतिलिपि संलग्न) निर्गत हुए । जिसके अनुसार पत्र के सभी बिन्दुओं का अनुपालन 31 दिसम्बर 2000 तक किया जाना था पर दुर्भाग्यवश हड़ताल समाप्ति की तिथि

शेष पृष्ठ....2 पर

को, जो दो अधिसूचनायें निर्गत हुई, वह भी आधे – अधूरे को छोड़कर आज तक न तो प्रोन्नति की प्रकिया का सरलीकरण किया गया और न ही सभी स्तरों पर अद्यतन प्रोन्नति के लिए वर्ष भर की सूची ही तैयार की गई । बहुत दिनों बाद केन्द्र के तर्ज पर समन्वय समिति गठित तो की गई पर उसमें प्रशासनिक सुधार एवं प्रोन्नति के मामले जान बुझकर छोड़ दिये गये ।

3. वर्ष 1997 में सांकेतिक हड़ताल के बाद 23.11.97 को महासंघ के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें हमारा संघ भी शामिल था (प्रतिलिपि संलगन) समझौते का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण हमें पुनः 23-3-99 से 29-3-99 तक हड़ताल पर जाना पड़ा, फिर सरकार के साथ एक समझौता हुआ (प्रतिलिपि संलग्न) 15 माह बीत जाने के बाद भी इस समझौते का पूर्णतः कार्यान्वयन नहीं किया गया फलतः हमारे संघ को 24.8.2000 से 66 दिनों की अभूतपूर्व अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा । जबकि हम बराबर सभी समझौते के कार्यान्वयन के लिए दबाव डालते रहे पर सरकार एवं कार्मिक विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया । आप सहमत होना चाहेंगे कि सरकार की उदासीनता, आला अधिकारियों के समय पर कार्य नहीं करने के कारण हमें समझौते के कार्यान्वयन के लिए ही हड़ताल करना पड़ा था जिसके लिए हमारा सघ कतई जिम्मेवार नहीं है बल्कि सरकार एवं आला अधिकारी जिम्मेवार है ।

4. सरकार को समझौते के आलोक में हम बार- बार संघ की स्वीकृत एवं निर्विवाद मांगों के लिए अधिसूचना निर्गत करने का अनुरोध करते रहे हैं जो निम्न प्रकार है:- (क) सरकार का आश्वासन, फिटमेण्ट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में हमारे मूल कोटि के लिए 8000-13500 का वेतनमान स्वीकृत किया जाना था जो आज तक नहीं किया गया है जबकि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, नेतरहाट विद्यालय के सहायक शिक्षकों, म्यूजियम सेवा के क्यूरेटर को केन्द्र के तर्ज पर पुरानी 2200 से 4000 का प्रतिस्थानी 8000-13500 का मूल वेतनमान दिया जा चुका है। सरकार डेनिक्स एवं डेनिप्स की तरह हमें मूल कोटि का वेतनमान देने के लिए बचनवद्ध है पर अधिसूचना निर्गत होने के बाद भी हमारे अनुरोध को टाला जा रहा है, और 8000-13500 का वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) अपर सचिव के लिए 11 पद चिन्हित एवं अधिसूचित है पर वेतनमान स्वीकृत नहीं किये गये हैं । विशेष सचिव के लिए 6 पद चिन्हित एवं अधिसूचित है । 28.10.2000 के समझौते के आलोक में निदेशक के 6 पद 16400-20000 के वेतनमान में अधिसूचित किया जाना था जो आज तक नहीं किया गया है ।

(ग) केन्द्र की तरह यू0 पी0 पेटर्न पर हमारे सदस्यों के लिए प्रत्येक स्तरों पर पद स्वीकृत किया जाना है जिस पर कार्रवाई शुरू भी नहीं की गई है । जिला पदाधिकारी का 5 पद आसाम एवं उड़ीसा, गुजरात आदि राज्य की तरह हमारे सदस्यों के लिए दिया जाना

शेष पृष्ठ....3 पर

है । अंतिम समझौता के अनुसार सेलेक्ट लिस्ट से ही सही, आज तक नहीं किया गया है ।

(ध) केन्द्र के अनुरूप कालवद्ध प्रोन्नति की जगह टाईम स्केल एवं ए0सी0पी0 तथा अन्य सेवा शर्त्ते हू-ब-हू लागू किया जाना था जो आज तक नहीं हो पाया। फिटमेण्ट कमिटी एवं आफताब आलम कमिटी की अनुशंसा के बावजूद सेवा निवृर्ति की उम्र सीमा 58 से 60 वर्ष अभी तक नहीं किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के पद पर यू0पी0 पैटर्न पर अवर सेवा का गठन कर पदस्थापित किया जाना है । संघ ने प्रस्ताव भी समर्पित कर दिया है परन्तु जानकारी मिली है कि कार्मिक सचिव ने अवर उप समाहर्त्ता एवं उप समाहर्त्ता जिसे 1974 में ही समाप्त कर दिया गया है को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है जो हमारे सदस्यों के ऊपर एक गहरा आघात है।

इसके अलावा पदाधिकारियों के पदस्थापन में वरीयता को नजरअंदाज कर भेदभाव किया जाना, झुठे एवं मनगढ़ंत बेनामी आरोपों, लम्बित निगरानी प्रतिवेदन अथवा चारित्रिक अभियुक्ति के अभाव में प्रोन्नति रोक रखना यह आम बात है । प्रोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलायी जाती है अगर बैठक हुई भी तो कार्यवाही तब तक तैयार नहीं की जाती है जब तक निगरानी प्रतिवेदन कालवाधित न हो जाय । सेवा में अधिक से अधिंक पद खाली रखा जाना, प्रतीक्षारत पदाधिकारी की लम्बी सूची विभाग में रखकर एवं बाद में उक्त अवधि को विनियमित करने आदि में पदाधिकरियों को बेवजह पेरशान किया जाना कार्मिक विभाग का दस्तूर बन गया है । उपरोक्त सभी कार्रवाई, जो सरकार, मुख्य सचिव एवं कार्मिक विभाग को करना है, समय पर नहीं करे तो हमारा संघ कौन सा रास्ता इस काम को समय पर कराने के लिए अख्तियार करे, इसका भी हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं ।

5. संघ द्वारा समय - समय पर सरकार को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाता रहा है । माननीया मुख्य मंत्री से मिलकर स्थिति की जानकारी भी दी जाती रही है । महासचिव से कार्य के दौरान आदरणीय मुख्य सचिव जी की कभी - कभी बातें भी हुई और मुख्य सचिव जी ने दिलचस्पी दिखाते हुए संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर 31 जुलाइ 2001 तक सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश कार्मिक विभाग को दिया भी परन्तु स्थिति पूर्ववत हीं बनी रही । हमने कई बार मुख्य सचिव जी से संघ की समस्याओं के निराकरण, समझौते के सभी बिन्दुओं के अनुपालन के लिए वार्त्ता करने का अनुरोध किया, पर इस अनुरोध को भी जान बुझकर टाला जाता रहा है । स्पष्ट है कि बिहार प्रशासनिक सेवा की उचित समस्याओं के समाधान में सरकार/ मुख्य सचिव/ कार्मिक सचिव की कोई दिलचस्पी नहीं है ।

6. दिनांक 22.8.2001 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सरकार/ कार्मिक विभाग द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई न करने की घोर निन्दा की गई और यह माना

शेष पृष्ठ....4 पर

गया कि कार्मिक विभाग कारीवाई नहीं करके पुनः बासा को आन्दोलन के लिए प्रेरित कर रहा है । सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वस्तु स्थिति की जानकारी एक बार पुनः माननीया मुख्य मंत्री, बिहार सरकार के अन्य माननीय मंत्रीगणों, मुख्य सचिव एवं कार्मिक सचिव को देते हुए संघ की सभी लम्बित कार्रवाई समय पर सुनिश्चित कराने का अनुरोध पत्र भेजा जाय तथा अनुरोध पत्र की प्रति महामहिम राज्यपाल, महामहिम सभापति, बिहार विधान परिषद्, माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों (बिहार के सांसदो) कैबिनेट सचिव, गृह आयुक्त, भारत सरकार को भेजी जाय ताकि स्थिति और भी स्पष्ट हो सके कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार हड़ताल पर क्यों जाना पड़ता है तथा इसके लिए कौन जिम्मेवार है ।

7. पिछले आन्दोलन के समय संघ को यह कटु अनुभव हुआ था कि सरकार तथा राज्य के सभी तबके के लोगों को यह कहकर गुमराह किया गया था कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अनावश्यक, बेवजह हड़ताल पर चले गए हैं जिससे सरकार को तो कठिनाई हो ही रही है तथा आम लोगों को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है । हमने सरकार से यह मांग किया था और अभी भी है कि पिछले 66 दिनों का आन्दोलन क्यों हुआ था, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हमें मजबूरन आन्दोलन पर क्यों जाना पड़ा, सरकार को कितनी क्षति उठानी पड़ी थी, आम जनों को कितनी परेशानियाँ हुई, के लिए कौन जिम्मेवार है, जिम्मेवारी निर्धारित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाय ।

8. पुनः हम आपसे विनम्र निवेदन के साथ अनुरोध करते है कि कार्मिक विभाग को कृपया निदेश देने की कृपा की जाय कि सभी निर्विवाद एवं स्वीकृत लम्बित कार्रवाई 30 सितम्बर तक सुनिश्चित करे ताकि हमें 2 अक्तूबर को उपवास तथा 4 अक्तूबर के बाद कभी भी आमरण अनशन पर जाना न पड़े । अगर मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा तो इसकी सारी जिम्मेवारी कार्मिक विभाग/ सरकार की होगी । क्योंकि हम समझौता का कार्यान्वयन एवं संघ की समस्या का समाधान चाहते हैं न कि अनशन, आन्दोलन अथवा अनिश्चितकालीन हड़ताल ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 20.9.2001

(जी० एल० दास)
महासचिव

(हस्ताक्षर)

(डबलू० एन० सिंह)
अध्यक्ष